

२२^५/_{२५}

अपीलांत व रेस्पों. के अधिवक्ता उप०।
अधिवक्ता रेस्पों. द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र व
दस्तावेजात के अवलोकन से पाया जाता है
कि अपीलांत द्वारा हस्तागत अपील में
अपीलाधीन आदेश के विरुद्ध एक अपील
माननीय आंत. संभागीय आयुक्त न्यायालय
जोधपुर में प्रस्तुत की जा रही है, लिखा
वै एक ही आदेश के विरुद्ध पुनः-पुनः
दो अपीलें प्रस्तुत करने के कारण
यह अपील चलने योग्य नहीं होने से
स्वीकार की जाती है। पत्रावली फेसल शुद्ध
होकर नंबर से कम हो सब दाखिल
वफतार हो।



अपर कलेक्टर बाहमेर
(ए.डी.एम.)